अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

रामनिवास आदि बनाम कमलेश आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 118 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
31.05.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थीगण की इकतरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक, रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 336 / 323 की कुल 8 खसरेजात की 40.5430 हैक्टेयर वादभूमि में प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि की यथास्थिति बनाये रखे । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 18 / 07 / 2023 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
10/07/2023	पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण जरिए वकील प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि अनुतोषी (?) प्रार्थना पत्र में पंच पंचायती राजीनामा होने के कारण प्रार्थना पत्र चलाना नहीं चाहते हैं। प्रार्थना पत्र [illegible] फालतू (?)। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण तलबी में और [illegible] प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अनुतोष प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)	रामनिवास जीता 10/7/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.22 14:23:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner